संख्या- 22 /2026/ 6425 /010-9-7002-002-1-2023

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021 ,दिनांक 06-12-2021 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹165.89 लाख के सापेक्ष नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर को प्रथम किश्त की धनराशि ₹27.90 लाख एवं शासनादेश संख्या-3184/नौ-8-2019-35ज/2019 दिनांक 02-12-2019, शासनादेश संख्या-1727/नौ-7-2021-02के.पी.ए.(बजट)/2019 लखनऊ दिनांक 15.12.2021 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹165.72 लाख के सापेक्ष नगर पालिका परिषद बड़ौत जनपद बागपत को प्रथम/द्वितीय किश्त की कुल धनराशि ₹95.36 लाख अवमुक्त की गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के पत्र दिनांक 27-11-2025 एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बड़ौत जनपद बागपत के पत्र दिनांक 24-11-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य की निविदा अनुबंध लागत क्रमशः धनराशि ₹175.50 लाख एवं ₹165.70 लाख है।

उल्लेख करना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु मानक आगणन की धनराशि ₹165.89 लाख निर्धारित है। नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर को प्रथम किश्त ₹27.90 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी। मानक आगणन के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि ₹137.99 लाख (₹165.89—₹27.90=₹137.99 लाख) निकाय को शासन स्तर से दिया जाना अवशेष है। नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा निविदा की धनराशि ₹175.50 लाख स्वीकृत की गयी है, जो कि मानक आगणन की धनराशि से ₹9.61 लाख अधिक है। अत: ₹9.61 लाख की धनराशि का प्रबन्ध निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर एवं नगर पालिका परिषद बड़ौत जनपद बागपत को कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06-12-2021, शासनादेश दिनांक 06-12-2021 एवं दिनांक 15.12.2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय/अंतिम किश्त की कुल धनराशि **₹208.33 लाख (₹दो करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)** चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	निविदा अनुबन्ध की लागत	प्रथम/ द्वितीय किश्त की धनराशि	द्वितीय/ अन्तिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद घाटमपुर जनपद कानपुर नगर	9-7002(099)/3/2021 , दिनांक 06-12-2021	165.89	175.50	27.90	137.99
2	नगर पालिका परिषद बड़ौत जनपद बागपत	3184/नौ-8-2019-35ज/2019 दिनांक 02-12-2019	165.72	165.70	25.00	70.34
		1727/नौ—7—2021 — 02के.पी.ए.(बजट)/2019 लखनऊ दिनांक 15.12.2021			70.36	
कुल योग			**331.61**	**341.20**	**123.26**	**208.33**

(₹दो करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 02 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(2)वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0 डब्ल्यू0 डी0/ आर0 ई0 एस0 के कम से कम सहायक

अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(4) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021 ,दिनांक 06-12-2021, शासनादेश संख्या-3184/नौ-8-2019-35ज/2019, दिनांक 02-12-2019 एवं शासनादेश संख्या-1727/नौ-7-2021-02के.पी.ए.(बजट)/2019 लखनऊ दिनांक 15.12.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,08,33,000 (रुपये दो करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 06-01-2026 17:58:37

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-22 /2026/6425(1)/010-9-7002-002-1-2023, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

संजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।